गोपनीय

पत्र संख्या 2828 आर/आ0-5-295/71

प्रेषक,

रमा शंकर मेहरोत्रा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

गृह(पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 8 मई, 1986

विषय:- शस्त्र विक्रेताओं के लिए प्रपत्र-XI/XII में कोटे का निर्धारण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के परिपत्र संख्या 4962 आर (1)/आठ-5-295/71, दिनांक 25.11.74 में प्रपत्र-XI/XII के शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंसों पर निम्न कोटा निर्धारित किया गया था:-

एक समय में बिक्री के लिए — शस्त्र	कारतूस	एक समय में मरम्मत के लिए — शस्त्र
(1) अनिषिद्ध बोर रिवाल्वर-10	2000	रिवाल्वर-5
(2) अनिषिद्ध बोर पिस्तौल-10	2000	पिस्तौल-5
(2) अनिषिद्ध बोर राइफल-25	2000	राइफल-15
(22 बोर को छोड़कर)		बी0एल0/एम0एल0 गन्स-25

2- शासन की नोटिस में कुछ ऐसे मामले आए है, जिनसे कुछ व्यवसायिक लाइसेंसों पर शस्त्रों की बिक्री एवं मरम्मत के लिए वर्ष-1974 में निर्धारित कोटे से अधिक मात्रा में शस्त्र/कारतूस रखने की अनुमति प्रदान की गई थी। इस प्रश्न पर सम्यक विचारोपरान्त शासन ने अब यह निर्णय लिया है कि ऐसे व्यवसायिक लाइसेंस प्रपत्र-XI/XII पर, जिनमें वर्ष-1974 में निर्धारित कोटे से अधिक शस्त्र/कारतूस रखने की अनुमति प्रदान की गयी हो, शस्त्र कारतूस की मात्रा को वर्ष-1974 में निर्धारित कोटे के अनुसार सीमित किया जाय। आपसे अनुरोध है कि आप अपने जिले के प्रपत्र-XI व XII पर स्वीकृत शस्त्र विकताओं के लाइसेंस के नवीनीकरण के समय कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि उनके प्रपत्र XI व XII के लाइसेंसों पर वर्ष-1974 में निर्धारित कोटे से अधिक मात्रा में शस्त्र/कारतूस रखने की स्वीकृति नहीं है। यदि किसी शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंस पर अधिक मात्रा में शस्त्र व कारतूस रखने की स्वीकृति अंकित हो तो कृपया ऐसे लाइसेंस शासन को प्रस्तुत करने का कष्ट करें, ताकि नवीनीकरण के पूर्व उस पर शस्त्र व कारतूस का निर्धारित कोटा अंकित किया जा सके।

3- अपने जिले के शस्त्र विकताओं के लाइसेंस उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु भेजने के पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लें कि ऐसे लाइसेंस पर व्यापार उसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रह है, जिसके नाम उक्त लाइसेंस स्वीकृत है। साथ ही यह भी देख लें कि लाइसेंस किसी कारणवश व्यपगत अथवा निलम्बित तो नही है तथा वह अद्यावधिक नवीनीकृत है।

भवदीय,

(रमा शंकर मेहरोत्रा)
संयुक्त सचिव।